न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 55/2024

अनवान : –

1. पुजा पुत्री जगदीश पत्नी कानाराम जाति जाट निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
2. उर्मिला पुत्री जगदीश पत्नी इन्द्रसिंह जाति जाट निवासी दीपलाना तहसील नोहर।

– वादीयान

बनाम्

1. जगदीश पुत्र पतराम जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
2. माया पुत्री जगदीश जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर ।
3. मन्जू पुत्री जगदीश जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
4. कविता पुत्री जगदीश जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 6/2/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादीयान ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि वादीयान एव प्रतिवादीगण की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि रोही मोजा 19 डीपीएन तहसील नोहर के जमाबदी सम्वत 2075–2078 के खाता संख्या 93/28 के कुल खसरे 34 का कुल क्षेत्रफल 6.6899 है0 में से 4060/6677 हिस्सा भूमि व रोहि मोजा 5 जेएसएन के खाता सं. 56/56 के कुल खसरा सं. 24 का कुल क्षैत्र. 3.3020 है0 में से 275/3299 हिस्सा भूमि व खाता सं. 15/19 के कुल खसरे 1 का कुल क्षै0 0.2530 है0 भूमि व रोहि मोजा 7 जेएसएन के खाता सं. 77/71 के कुल खसरे 15 का कुल 3.2880 है. भूमि प्रतिवादी सं. 1 के खातेदारी नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड हैं।

उक्त वाद भूमि वादीयान की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है प्रतिवादी संख्या 1 कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के अकेले के नाम दर्ज हो गई उक्त वाद भूमि में वादीयान एवं प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 प्रतिवादी संख्या 1 के साथ जन्मजात हक हिस्सा है। प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 जो कि वादीगण कि बहिन है व प्रतिवादी सं. 1 कि पुत्री है वह उपरोक्त भूमि में अपना कोई हक व हिस्सा नही लेना चाहती है व अपने परिवार के मोजिज व्यक्तियो के सामने अपनी बहिनो व पिता के पक्ष मे परित्याग कर चुकी है इसी प्रकार बाद हकत्याग मुताबीक पारिवारीक समझोता रोही मोजा 19 डीपीएन तहसील नोहर के जमाबदी सम्वत 2075–2078 के खाता संख्या 93/28 के [illegible]रे 34 का कुल क्षेत्रफल 6.6899 है0 में से 4060/6677 हिस्सा भूमि में से [illegible] हि.ब व शेष भूमि पर प्रतिवादी सं. 1 काबिज है वा रोहि मोजा 5 जेएसएन के ख[illegible] सं. 56/56 के कु[illegible]रा सं. 24 का कुल क्षैत्र. 3.3020 है0 में से 275/3299 हिस्सा भूमि व खाता सं. 15/19 के कुल खसरे 1 का

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.03.28 11:56:34 IST
Reason: SelfAttested

कुल क्षे0 0.2530 है0 भूमि व रोहि मोजा 7 जेएसएन के खाता सं. 77/71 के कुल खसरे 15 का कुल 3.2880 है. भूमि प्रतिवादी सं. 1 काबिज है। वादीगण जिसकी घोषणा न्यायालय से करवाकर राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करवा पाने का अधिकारी है यही विनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादीयान का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादीयान के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादीयान का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 4 ने न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को काई एतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 5 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी, शपथ पत्र बाबत सदस्य आदि दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीयान ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादीयान की दादालाई कृषि भूमि है जो की वर्तमान में वादी के पिता के नाम दर्ज है उक्त वाद भूमि पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादीयान एवं प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 4 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ जन्म से हक हिस्सा है। प्रतिवादीया संख्या 1 ता 4 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादीयान के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादीयान का वाद डिकी फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण [illegible] किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद [illegible] मोजा 19 डीपीएन तहसील नोहर के जमाबदी सम्वत 2075–2078 के [illegible] 93/28 के कुल खसरे 34 का कुल क्षेत्रफल 6.6899 है0 में से 4060/6677 हिस्सा भूमि व रोहि मोजा 5 जेएसएन के खाता सं.

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.03.28 11:56:34 IST
Reason: SelfAttested

56/56 के कुल खसरा सं. 24 का कुल क्षैत्र. 3.3020 है0 में से 275/3299 हिस्सा भूमि व खाता सं. 15/19 के कुल खसरे 1 का कुल क्षै0 0.2530 है0 भूमि व रोहि मोजा 7 जेएसएन के खाता सं. 77/71 के कुल खसरे 15 का कुल 3.2880 है. भूमि प्रतिवादी सं. 1 के खातेदारी नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड हैं। उभयपक्ष ने उक्त वाद भूमि, हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक कृषि भूमि होना जाहिर किया है। वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं सजरा खानदान के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 के अन्य कोई वारिस नही होना स्वीकार किया गया है। वादीयान का कथन है कि प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है वादीयान के कथन को प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 द्वारा स्वीकार किया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीयान के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादीयान मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 को कोई एतराज नही है। अतः वाद वादीयान साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादीयान साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीयान मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा 19 डीपीएन तहसील नोहर के जमाबदी सम्वत 2075–2078 के खाता संख्या 93/28 के कुल खसरे 34 का कुल क्षेत्रफल 6.6899 है0 में से 4060/6677 हिस्सा भूमि में से 3.542 है. भूमि के वादी संख्या 1 ता 2 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व शेष भूमि प्रतिवादी सं. 1 के नाम यथावत रहेगी व रोहि मोजा 5 जेएसएन के खाता सं. 56/56 के कुल खसरा सं. 24 का कुल क्षैत्र. 3.3020 है0 में से 275/3299 हिस्सा भूमि व खाता सं. 15/19 के कुल खसरे 1 का कुल क्षै0 0.2530 है0 भूमि व रोहि मोजा 7 जेएसएन के खाता सं. 77/71 के कुल खसरे 15 का कुल 3.2880 है. भूमि प्रतिवादी सं. 1 के नाम यथावत रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 6/2/2024..... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.03.28 11:36:34 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 55/2024

अनवान : –

1. पुजा पुत्री जगदीश पत्नी कानाराम जाति जाट निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
2. उर्मिला पुत्री जगदीश पत्नी इन्द्रसिंह जाति जाट निवासी दीपलाना तहसील नोहर।

– वादीयान

बनाम्

1. जगदीश पुत्र पतराम जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
2. माया पुत्री जगदीश जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर ।
3. मन्जू पुत्री जगदीश जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
4. कविता पुत्री जगदीश जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 55 सन 2024 निर्णय दिनांक 6/2/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीयान साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वाद मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा 19 डीपीएन तहसील नोहर के जमाबदी सम्वत 2075–2078 के खाता संख्या 93/28 के कुल खसरे 34 का कुल क्षेत्रफल 6.6899 है0 में से 4060/6677 हिस्सा भूमि में से 3.542 है. भूमि के वादी संख्या 1 ता 2 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व शेष भूमि प्रतिवादी सं. 1 के नाम यथावत रहेगी व रोहि मोजा 5 जेएसएन के खाता सं. 56/56 के कुल खसरा सं. 24 का कुल क्षैत्र. 3.3020 है0 में से 275/3299 हिस्सा भूमि व खाता सं. 15/19 के कुल खसरे 1 का कुल क्षै0 0.2530 है0 भूमि व रोहि मोजा 7 जेएसएन के खाता सं. 77/71 के कुल खसरे 15 का कुल 3.2880 है. भूमि प्रतिवादी सं. 1 के नाम यथावत रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 6/2/2024..... को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.03.28 11:56:34 IST
Reason: SelfAttested